



भारत सरकार

कार्यालय : आयकर आयुक्त- 1, पटना

आदेश

दिनांक: 11-08-2009

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80छ (80G) के अधीन आदेश

संस्था का नाम एवं पता:- श्रीपिति सीवा संघ

103-A, एस. के. मुख्यालय, पटना-13

संस्था का नाम एवं पता:- श्रीपिति सीवा संघ

उपरोक्त संस्था को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर मुक्त होगा बश्तैं उसकी रकम प्रावधान में निहित सीमा में हो और निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो ।

1. दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और तारीख व करमुकित कब तक देय है, स्पष्ट लिखा हो ।
2. आय एवं व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाये ।
3. यह कर मुक्ति दिनांक 01-04-2009 से 31-03-2013 तक देय है ।

(इकतीस मार्च की हारिते)

हृ०-

(ओ०पी० अच्छाल)  
आयकर आयुक्त-1, पटना

स० स० आ०आ०-१/पटना/तक०/८० G/०९-१०/९५९-६२ दिनांक 11-08-2009

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ✓ 1. श्रीमान् सचिव/अध्यक्ष ..... अपरोक्षता दर्ता ..... को । संस्था के द्वारा आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80छ (80G) के अधीन मान्यता-नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष २००८-०९ में प्रस्तुत किया गया था । अतः संस्था को कर मुक्ति की मान्यता दिनांक 01-04-2009 से 31-03-2013 तक प्रदान की जाती है ।

यदि इस कर मुक्ति का नवीनीकरण आगे करवाना हो तो सम्बन्धित आयकर अधिकारी के माध्यम से कर मुक्ति की अवधि समाप्त होने के तीन माह के अंदर निर्धारित प्रपत्र में भेजे । आवेदन पत्र के साथ पिछले तीन वर्षों के आय व्यय के हिसाब की बकलें, नियम व नियमों में यदि कोई परिवर्तन किये गये हो तो उसकी सूचना आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) (सी) के अन्तर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा आयकर नियम के नियम 11ए का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

2. संहायक/उप आयकर आयुक्त, अंचल -I, पटना..... उपरोक्त संघर्ष के आय एवं व्यय के खारिंग लेखाँ वर्गी जांच करें जो कि बोर्ड के आदेश संघर्षा 3/फा०सं०८०/२/५९/आई०टी०ए० दिनांक ०९.१०.१९७२ एवं आदेश संघर्षा ६३/फा०सं०३६७/१७५/४७/७०/ आई०टी०ए० दिनांक ०९.१०.१९७२ के अनुसार सालाना प्रस्तुत करेंगे। नवीनीकरण का आवेदन पत्र यदि प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अपनी इष्पणी सहित अपने परिक्षेप्र के अपर आयकर/संयुक्त आयकर आयुक्त के नाध्यम से प्राप्त होने के १५ दिनों के अवधि इस कार्यालय को भेज दें।
3. संयुक्त/अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेप्र -I, पटना.....।
4. मुख्य आयकर आयुक्त-1, पटना।

४८

( भारत भूषण प्रसाद )  
आयकर अधिकारी (तक ०)  
कृते : आयकर आयुक्त : १, पटना।

